GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार) MINISTRY OF RAILWAY (रेल मंत्रालय) RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2024/H-1/12/3/Case to Case

New Delhi, Dated 04.04.2025

The General Manager, All Indian Railways/ PUs, DG/RDSO, Lucknow & CAO(R), Patiala.

Sub: The scheme to call Medical Consultants to Railway Hospitals for providing professional services on case to case basis.

Ref: (i) Railway Board's letter No. 2005/H-1/12/34/Pt. dated 05.05.2006.

(ii) Railway Board's letter No. 2015/H-1/12/4/Case to case dated 29.05.2015.

(iii) Railway Board's letter No. 2017/Trans/01/Policy dated 18.10.2017.

(iv) Railway Board's letter No. 2018/Trans. Cell/Conclave/Health dated 23.03.2018.

(v) Railway Board's letter No. 2005/H-1/12/34/Pt. dated 30.10.2018.

The matter of revision of consultancy fee to call Medical Consultants to Railway Hospitals for providing professional services on case to case basis has been under consideration of this office. In order to deliberate the issue a committee of four doctors was constituted. Based on the recommendations of the committee, it has been decided to revise the consultancy fee to call Medical Consultants on case to case basis as follows:

1. Rate of payment

- 1.1 Consultancy fees
 - (i) For Specialist: ₹1000/- (One thousand) fee for first case and ₹ 350/- (Three hundred fifty) for each subsequent case(s).
 - (ii) <u>For Super Specialist</u> (New Category Introduced): ₹1000/- (One thousand) fee for first case and ₹ 500/- (Five hundred) for each subsequent case(s).
- 1.2 For Surgical procedures: As per Railway Board's letter No. 2018/Trans.Cell/Health/professional services dated 10.09.2018.
- 2. Competent authority to sanction is MD/ CMS/ CMO/ MS In-charge of Railway Hospitals.
- 3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Sam

(Dr. Ashutosh Garg/डॉ. आशुतोष गर्ग) Director/Health (Policy&Project)/(निदे./ स्वा.(नीति और परि.) Railway Board (रेलवे बोर्ड)

No. 2024/H-1/12/3/Case to Case

New Delhi, Dated 0 4.04.2025

Contd...

Copy is forwarded for information & necessary action to:

1. The Principal Financial Advisor, All Indian Railway/ All PUs.

2. The Principal Chief Medical Directors, Chief Medical Officers, Chief Medical Supdts., All Indian Railway/ All PUs.

(Dr. Ashutosh Garg/डॉ. आशुतोष गर्ग) Director/Health (Policy&Project)/(निदे./ स्वा.(नीति और परि.) Railway Board (रेलवे बोर्ड)

No. 2024/H-1/12/3/Case to Case

New Delhi, Dated o4.04.2025

Copy is forwarded for information & necessary action to:

1. The Principal Directors of Audit, All Indian Railway/ All PUs.

2. Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.24, Rail Bhawan, New Delhi.

For Member Finance, Railway Board

No. 2024/H-1/12/3/Case to Case

New Delhi, Dated of .04.2025

Copy to:

- 1. The General Secretary, AIRF, Room no. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
- 2. The General Secretary, NFIR, Room no. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
- 3. All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
- 4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No.256-A & 268, Railway Board.
- 5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
- 9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8 Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12. General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

For PED(IR), Railway Board

Copy to: F(E) Spl. Branch Railway Board.

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA) रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS) रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं.2024/H-1/12/3/Case to Case

नई दिल्ली, दिनांकः 04.04.2025

महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, महानिदेशक/आरडीएसओ, लखनऊ और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), पटियाला।

> विषयः रेलवे अस्पतालों में पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मामला दर मामला आधार पर चिकित्सा परामर्शदाताओं को आमंत्रित करने संबंधी योजना।

- संदर्भः (i) रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2005/H-1/12/34/Pt. दिनांक 05.05.2006.
 - (ii) रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2015/H-1/12/4/Case to case दिनांक 29.05.2015.
 - (iii) रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2017/Trans/01/Policy दिनांक 18.10.2017
 - (iv) रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2018/Trans. Cell/Conclave/Health दिनांक 23.03.2018.
 - (v) रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2005/H-1/12/34/Pt. दिनांक 30.10.2018.

रेलवे अस्पतालों में पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मामला दर मामला आधार पर चिकित्सा परामर्शदाताओं को आमंत्रित करने के लिए परामर्श फीस में संशोधन संबंधी मामला इस कार्यालय में विचाराधीन था। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए 4 डॉक्टरों की समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर मामला दर मामला आधार पर चिकित्सा परामर्शदाताओं को आमंत्रित करने के लिए परामर्श फीस में निम्नलिखित संशोधन करने का विनिश्चिय किया गया है:

1. भुगतान की दर

1.1 परामर्श फीस

- (i) स्पेशिलस्ट के लिएः प्रथम मामले के परामर्श पर ₹ 1000/- (एक हजार) फीस और उसके बाद प्रत्येक मामला (मामले) के लिए ₹350/- (तीन सौ पचास)।
- (ii) सुपर स्पेशलिस्ट के लिए (नई कोटि की शुरुआत) : प्रथम मामले के परामर्श पर ₹ 1000/- (एक हजार) फीस और उसके बाद प्रत्येक मामला (मामले) के लिए ₹ 500/- (पांच सौ)।
- 1.2 **शल्य चिकित्सा प्रक्रिया के लिएः** रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2018/Trans.Cell/Health/professional services दिनांक 10.09.2018 के अनुसार ।
- 2. चिकित्सा प्रबंधक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक प्रभारी रेलवे अस्पतालों में स्वीकृति देने वाले सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

3mil

(डॉ. आशुतोष गर्ग) निदेशक/स्वास्थ्य (नीति और परियोजना) रेलवे बोर्ड।

सं. 2024/H-1/12/3/Case to Case

नई दिल्ली, दिनांकः 04.04.2025

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषितः

- 1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/सभी उत्पादन इकाइयां।
- 2. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सभी क्षेत्रीय रेलें/सभी उत्पादन इकाइयां।

(डॉ. आशुतोष गर्ग) निदेशक/स्वास्थ्य (नीति और परियोजना) रेलवे बोर्ड।

सं. 2024/H-1/12/3/Case to Case

नई दिल्ली, दिनांकः 04.04.2025

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषितः

- 1. प्रधान निदेशक, महालेखा परीक्षा, सभी क्षेत्रीय रेलें/सभी उत्पादन इकाइयां।
- 2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड

सं. 2024/H-1/12/3/Case to Case

नई दिल्ली, दिनांकः 04.04.2025

प्रतिलिपि प्रेषितः

- 1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली
- 2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

- 4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ और आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए और 268, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 5. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 9. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, कमरा नं. 8, ग्राऊंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली।

12. जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे इम्प्लाइज़ वेलफेयर एसोसिएशन (रजि.) ४९०ए/१६, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।

कृते कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध) रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपिः वित्त (ई) स्पे. शाखा रेलवे बोर्ड।